

प्रेषक,

निदेशक कारखाना, उ०प्र०,  
जी०टी०रोड़, कानपुर।

सेवा में,

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,  
प्रिंसपल, बैंच, फरीदकोट हाऊस कॉपरनिकस मार्ग,  
न्यू दिल्ली-110001

अशा०प०स०-०८ डीएफ/जॉच/कैम्प गाजि०,

दिनांक-०७-०७-२०२२

विषय:-स्वतः संज्ञान विषय O.A NO 450/2022 जिसके अन्तर्गत जनपद हापुड़ स्थित अवैध पटाखा फैक्ट्री में दिनांक ०४-०६-२०२२ को हुए विस्फोट/अग्निकाण्ड के कारण १२ व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी, के सम्बंध में है।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उपरोक्त उल्लिखित प्रकरण में प्लाट संख्या-एफ-१२८ फेज-१ इण्डस्ट्रीयल एरिया, एम०जी०रोड़, हापुड़ में मैसर्स-रुही इण्डस्ट्रीज के नाम आवंटित था, जिसके स्वामी श्री दिलशाद पुत्र श्री अब्दुल खालिद, सी-४, गली नं०-४, न्यू ब्रजपुरी, नई दिल्ली ११००५१ हैं। इनके द्वारा स्वयं को यू०पी०एस०आई०डी०सी० (उ०प्र० राज्य औद्योगिक राज्य विकास कार्पोरेशन) द्वारा अपने आवंटित प्लाट को बिना यू०पी०एस०आई०डी०सी० की सहमति के अवैध रूप से श्री वसीम अली पुत्र श्री सलीम, निवासी-१०२, मौ० कानून गोयान, तह० व जिला हापुड़ को किराये पर उठा दिया गया। श्री वसीम अली द्वारा टॉयगन (खिलौना पिस्तौल) पैलेटस में बारूद भरने का कार्य अवैध रूप से किया जाता था। यह कार्य करने हेतु उनके पास उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अग्नि शमन विभाग, विस्फोटक नियंत्रण विभाग, उद्योग विभाग, विद्युत सुरक्षा विभाग, यू०पी०एस०आई०डी०सी० एवं जिला प्रशासन सहित किसी भी विभाग की अनुमति/लाईसेंस नहीं था। दिनांक ०४-०६-२०२२ को इस प्रतिष्ठान में ३३ कर्मकार बिना शक्ति की सहायता से टॉयगन पैलेटस में बारूद भरने का कार्य कर रहे थे तभी अचानक सम्भवतः इलैक्ट्रिक शार्ट सर्किट/बीड़ी सिगरेट से आग लग गयी जिसमें काफी तीव्रता के साथ विस्फोट हुआ जिसमें मौके पर ही १३ कर्मकारों की मृत्यु हो गयी तथा २० कर्मकार घायल हो गये। उसके उपरांत ईलाज के दौरान ०४ अन्य कर्मकारों की भी मृत्यु हो गयी। इस प्रकार मृतकों की कुल संख्या १७ तक पहुँच गयी है। इस सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कारखाना प्रभाग श्रम विभाग के कारखाना प्रभाग के के ०५ वरिष्ठ सहायक

कमश:-०२



निदेशक कारखाना (कारखाना निरीक्षक) टीम द्वारा उक्त घटना की जाँच करायी गयी। उक्त टीम द्वारा दिनांक 07-06-2022 की रिपोर्ट में यह अवगत कराया गया है कि इस कार्य को अवैध रूप से संचालित प्रतिष्ठान में 33 कर्मकार बिना शक्ति की सहायता से अभिनिर्माण प्रक्रिया करते हुए पाये गये। अतः यह प्रतिष्ठान कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत आवर्त नहीं होता है। कारखाना अधिनियम, 1948 (उ0प्र0 राज्य संशोधन अधिनियम, 2017) के अन्तर्गत 20 या 20 से अधिक कर्मकार शक्ति की सहायता से कार्यरत हो अथवा 40 या 40 से अधिक कर्मकार बिना शक्ति की सहायता से कार्यरत हो, तभी किसी प्रतिष्ठान में कारखाना अधिनियम, 1948 के प्राविधान आकर्षित होते हैं, क्योंकि वर्तमान परिपेक्ष्य में कर्मकारों की संख्या, बिना शक्ति की सहायता से 40 से कम थी। अतः इस प्रतिष्ठान में कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधान आकर्षित नहीं हो रहे थे। मृतक/घायल कर्मकार को क्षतिपूर्ति सम्बन्धी दावा का निपटारा कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति आयुक्त (सहायक श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त) द्वारा किया जाता है। इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु उनको भी अवगत करा दिया गया है। इस घटना के सम्बन्ध में सी0आर0पी0सी0 की धारा-154 के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 सं0-0265 दिनांक 04-06-2022 के अन्तर्गत आई0पी0सी0 की धारा-286, 287, 304, 308, 337, 338 हेतु थाना धौलाना, जिला हापुड़ में किसी मृतक कर्मकार के आश्रितो द्वारा पंजीकृत करा दी गयी थी। इस घटना की जाँच पुलिस द्वारा भी की जा रही है।

अतः इस से भी स्पष्ट है कि यह प्रकरण कारखाना अधिनियम, 1948 के प्राविधानों से सम्बन्धित न होकर आई0पी0सी0 के प्राविधानों से अवैध रूप से संचालन से सम्बन्धित है। इस घटना की जाँच में 06 कर्मकारों के बयान ले लिये गये थे उस से भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि 40 या 40 से अधिक कर्मकार बिना शक्ति की सहायता से कार्यरत थे। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि पूर्व में भी इस प्रतिष्ठान की किसी भी ट्रेड यूनियन, जनप्रतिनिधि, श्रमिक आदि के द्वारा कोई परिवाद प्राप्त नहीं थें। अतः उक्त प्रतिष्ठान का पूर्व में सर्वेक्षण करना भी सम्भव नहीं हो सका।

सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त दुर्घटना की जाँच रिपोर्ट एवं गवाहो/घायलो के बयानों की प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:-

- (01)-एन0जी0टी0 आदेश की प्रति।  
(02)-05 अधिकारियों की विभागीय टीम द्वारा की गयी जॉच रिपोर्ट पत्र संख्या-168 डीडीएफ/जॉच रिपोर्ट, दिनांक07-06-2022 की प्रति।  
(03)-एफ0आई0आर0 0265/2 थाना धौलाना जनपद हापुड की प्रति।  
(04)-06 घायल कर्मकार तथा 02 अन्य दो व्यक्तियों के बयानों की प्रति।  
(05)-कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा सं0-2 (उ0प्र0 संशोधन अधिनियम, 2017 की प्रति)  
(06)-क्षतिपूर्ति के सम्बंध में सहायक श्रमायुक्त, हापुड के पत्र संख्या-836-838 (33) क्षतिपूर्ति0हा/, दिनांक 05-06-2022 की छायाप्रति। इसके अन्तर्गत भी 33 कर्मकार दर्शाये गये है तथा इसमें में मृतक एवं घायल कर्मकारों की सूची भी संलग्न है।  
(07)-जॉच रिपोर्ट पत्र संख्या-1267 एडीएफ/संधा0दुर्घ0./गाजि0, दिनांक 11-06-2022 की प्रति।  
(08)-भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू) के पत्र दिनांक-09-06-2022 की प्रति (25-35 कर्मकारों द्वारा बिना शक्ति के सहायता से पटाखें बनाने के सन्बन्ध में)।

(आर0के0सिंह)

प्रभारी-निदेशक कारखाना, उ0प्र0,

पृ0प0सं0-08(i-iv) एफ/उक्त,

दिनांक:-07-07-2022

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-श्रमायुक्त उ0प्र0, कानपुर।

2-अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवा योजन, उ0प्र0शासन (श्रमायुक्त उ0प्र0 के माध्यम से)

3-सहायक निदेशक कारखाना, उ0प्र0, गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद।

4-उप निदेशक कारखाना, उ0प्र0, गाजियाबाद सम्भाग, गाजियाबाद।

संलग्नक-उपरोक्त।



(आर0के0सिंह)

प्रभारी-निदेशक कारखाना, उ0प्र0,

12/17-1

By Email/Speed Post

NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH  
FARIDKOT HOUSE, COPERNICUS MARG  
NEW DELHI-110001

Date: - 06.06.2022

To

1. The Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (522-2720831, ms@uppeb.com).
2. The Member Secretary, Central Pollution Control Board (011-22303655, msch.epcb@nic.in).
3. District Magistrate, Hapur, Uttar Pradesh (09454449848, dmhap@nic.in).
4. Director of Factories, Kanpur-208005 (0512-2223886, dofkan@rediffmail.com)
5. Ruhi Industries, Om Nagar, Mohan Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201007 (07840008150)

**Subject: -** Notice of hearing in Suo Moto matter- OA, No 450/2022. In re: "12 dead in fire at Hapur Factory that' Produced firecrackers illegally': Saw people with burns jumping into drains", published in The Indian Express dated 05<sup>th</sup> June, 2022.

Sir/Madam,

Take notice that OA, No. 450/2022 (Copy enclosed) Titled "12 dead in fire at Hapur Factory that' Produced firecrackers illegally': Saw people with burns jumping into drains", will be taken up for hearing by the NGT through Physical Hearing (with Hybrid Option) on Friday the 08<sup>th</sup> July, 2022.

You are therefore requested to be present before the Bench through Physical Hearing (with Hybrid Option) alongwith your response.

Video conferencing shall be conducted through Cisco Webex Mobile/Desktop App. Link to join the conference shall be sent at your email IDs. If any report/document is to be filed, the same can be sent through email at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in).

Encl. as Above

14/9/2022  
Deputy Registrar

Follow Us:



Stay updated with latest explainers, opinions and much more. Unsubscribe any time from your settings

Don't Allow

Google Assistant, Siri, Siri Suggestions, Siri Shortcuts, Siri Suggestions, Siri Shortcuts, Siri Suggestions, Siri Shortcuts

Subscribe

S/A 450/2022

Home / Cities / Delhi / 12 dead in fire at Hapur factory that 'produced firecrackers illegally' 'Saw people with burns jumping into drains'

# 12 dead in fire at Hapur factory that 'produced firecrackers illegally': 'Saw people with burns jumping into drains'

PM Modi takes cognizance: The state govt officials reportedly involved in treatment of the injured

Written by Aranya Shankar / Hapur  
Updated: June 5, 2022 7:10:59 AM

Get breaking news alerts




Stay updated with latest explainer, opinions and much more. Unsubscribe any time from your settings.

Don't Allow



God has gift  
bringing me  
around India



The factory is located at an Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation (UPSIDC) site in Hapur's Dhaulana area. (ANI)

Twelve people died and 13 people were injured in a factory fire at Uttar Pradesh's Hapur Saturday afternoon, according to the police. As per preliminary investigation, the factory had allegedly been manufacturing fireworks illegally, even though a license had been taken to manufacture electronics.

The factory is located at an Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation (UPSIDC) site in Hapur's Dhaulana area. More than 20 fire tenders were rushed to the site, officials said. Most of the deceased were labourers working at the plant.

Sub-inspector Sandeep Kumar of Dhaulana police station and the wki in charge, UPSIDC, said they received information around 2:50 pm. "We rushed to the spot. We found eight bodies inside the factory which were completely charred. Another four people succumbed to their injuries in the hospitals where they were taken. Currently the injured are admitted at Sandarjung Hospital in Delhi, Sohilika Water Speciality Hospital in Ghaziabad and Meera Medical."

"There were no chemicals or boiler inside the factory premises. Plastic pellets and other materials found at the spot after the blast make us believe they were producing fireworks inside. As per our estimate there were 17 workers working inside the factory," he said.



Premium



Stay updated with latest explainers, opinions and much more. Unsubscribe any time from your settings.



God has gift bringing me around India

God has gifted me peace and that's bringing me the love of people around I...

Don't Allow

'Network of fake accounts inflated BJP MP posts; staffer prompted, but FB...

Explained: Why kidney rackets thrive

The Ukraine conflict has raked up old dilemmas

The gate at the factory read "Joint Industries", though it was not immediately clear whether that belonged to the owner of the tenant.

"The owner of the factory is one Dilshad, a resident of Meerut. He had rented the factory to one Waseem, who is from Hapur. We have tried to trace both people but their phones are switched off. We were told Waseem was one of the injured but we have not been able to track him," said Kumar.

**Twelve people died and 13 people were injured in a factory fire at Uttar Pradesh's Hapur Saturday afternoon, according to the police.**

Read here: <https://t.co/ny21Fz0JJQ>

[pic.twitter.com/69R0L7fstu](https://pic.twitter.com/69R0L7fstu)

— Express Delhi-NCR 🤖 (@ieDelhi) June 4, 2022

Medha Rupani, District Magistrate Hapur, said, "We received information that a huge fire had taken place in Dhautana area. It is an unfortunate incident. Our primary efforts are to save those who are injured. We are making sure they get medical assistance. With regards to the cause of fire and the legality of the factory, a probe is underway. A committee will be set up as well."

Workers and factory owners in the area said they all heard a loud blast in the afternoon followed by smoke billowing and material flying off from the factory. Soon after people could be seen rushing out.

Samik (9) whose parents are labourers in a nearby building, was playing outside with his friends, when he heard the blast. "I didn't know what had happened. I just saw people running out injured and I ran away," he said.

**Uttar Pradesh | A blast happened in a boiler in a chemical factory in Hapur district. Multiple fire**



Don't Allow

Shyam Sundar (49),  
working when he h

out of the factory, jumping in drains hoping for some contact with water," he said.

Pankaj Kumar (23), who works in the adjacent Angad Organics, a fertilizer manufacturing company, sustained minor injuries on his arm as material from the factory came flying out. The impact of the blast was such that glasses and windows of nearby factories were also shattered.

Rajesh Thakur (22), owner of MRF Lubricants, said he has never seen any fatalities inside or outside the factory. "We are being told 30-40 people were inside, but if there were so many people working inside out, they never came out. We couldn't see them at the paint shop right opposite the factory either, which is where people congregate," he said.

Thakur also said that the industrial area is almost 20 years old, yet there is no fire station in the whole area. "We were scared that if the fire spreads, it will take all our factories down," he said.

The gate of the factory where the blast took place. (Express Photo)

<https://indianexpress.com/article/india/india-today/india-today-boiler-explosion-at-factory-in-rupnagar-7552157/>

for nation. There usually comparative



Get breaking news alerts

Stay updated with latest explainer, opinions and much more. Unsubscribe any time from your settings.

India



God has gifts bringing me around India

Prime Minister Narendra Modi said, "Don't Allow in the chemical factory is near wrenching. I express my condolences to the families of those who lost their lives. The state government is actively involved in treatment of those injured," said the PM office in a tweet.

UP CM Yogi Adityanath expressed condolences to the family of the deceased. He also directed senior officials from the Meerut division to reach the factory and expedite rescue operations. Legal proceedings against the factory owners will be initiated by the police after concluding the initial probe, said officials.

Subscribe Now! Get Express Premium to access our in-depth reporting, explainers and opinions.

For all the latest Lucknow News, download Indian Express App.

### NewsGuard

The Indian Express website has been rated GREEN for its credibility and trustworthiness by NewsGuard, a global service that rates news sources for their journalistic standards.

The Indian Express (P) Ltd

TAGS: Explosion Paper

उप निदेशक कारखाना, उ०प्र०,  
गाजियाबाद सम्भाग, गाजियाबाद।

सेवा में,

निदेशक कारखाना, उ०प्र०,  
कानपुर।

पत्रांक 168 डीडीएफ/जॉच रिपोर्ट,

दिनांक:- 07/06/2022

महोदया,

कृपया इस पत्र के साथ मैसर्स-रूही इण्डस्ट्रीज, एफ-128, फेज-1, एम०जी०रोड, इण्ड० एरिया, एम०जी०रोड, हापुड़ में घटित अग्निकाण्ड/संघातक दुर्घटना की जॉच रिपोर्ट अन्य सुसंगत अभिलेखों के साथ संलग्न कर आपको सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-1-जॉच रिपोर्ट।

2-बयानों की प्रति।

3-दुर्घटना स्थल के फोटोग्राफ्स।

4-मृतकों/घायलों की सूची

5-एफ०आई०आर० की प्रति।

6-सहायक श्रम आयुक्त के द्वारा कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के अन्तर्गत मृतकों/घायलों को क्षतिपूर्ति हेतु प्रतिष्ठान के सेवायोजक को जारी नोटिस की प्रति।

7-कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2एम(i) तथा 2एम(ii) (कारखाना अधिनियम उत्तर प्रदेश संशोधन-2017) की प्रति।

(ए०के०सिंह)

प्रभारी-उप निदेशक कारखाना, उ०प्र०,  
गाजियाबाद सम्भाग गाजियाबाद।

दिनांक:- 07/06/2022

पृ०प०सं० 168 (i-iv) डीडीएफ/उक्त,

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-जिलाधिकारी, हापुड़।

2- श्रम आयुक्त उ०प्र०, कानपुर।

3-उप श्रमायुक्त, उ०प्र०, गाजियाबाद।

4-सहायक निदेशक कारखाना, गाजियाबाद।

(ए०के०सिंह)

प्रभारी-उप निदेशक कारखाना, उ०प्र०,  
गाजियाबाद सम्भाग गाजियाबाद।

1 इण्डस्ट्रीज, हापुड़ में दिनांक 04-06-2022 को घटित दुर्घटना की जांच रिपोर्ट

व पता :- मैसर्स-रूही इण्डस्ट्रीज,  
एफ-128, फेज-1, एम0जी0रोड, इण्ड0 एरिया, एम0जी0रोड, हापुड़।

नाम व पता :- श्री दिलशाद पुत्र श्री अब्दुल खालिद  
सी-4, गली न0-4, न्यू ब्रजपुरी, नई दिल्ली 110051

आर/संचालक व पता :- श्री वसीम अली पुत्र श्री सलीम,  
निवासी-102, मो0 कानून गोयान, तह0 व जिला हापुड़।

घरत/प्रभावित कर्मकारी की संख्या :- 33

मृतक कर्मकारों की संख्या :- 13 (सूची संलग्न)

घायल कर्मकारों की संख्या :- 20 (सूची संलग्न)

अभिनिर्माण प्रक्रिया :- टॉयमन पैलेट्स में बारूद भरने का कार्य (Filling of Gun Powder in the Gun pallets)

दिनांक 07-06-2022 को उक्त प्रतिष्ठान की जांच, कार्यालय-निदेशक कारखाना, उ0प्र0., कानपुर के पत्रांक 01 डीडीएफ/सो0दु0/सो0/कम (गाजियाबाद), दिनांक 06-06-2022 के द्वारा गठित निरीक्षण टीम द्वारा की गयी। इस निरीक्षण टीम में श्री रवीन्द्र कुमार, सहायक निदेशक कारखाना, गुजामफारनगर क्षेत्र, श्री ए0के0सिंह, प्रभारी-उप/सहायक निदेशक कारखाना, गाजियाबाद क्षेत्र, श्री सुरेन्द्र बहादुर, सहायक निदेशक कारखाना, मुसादाबाद क्षेत्र, श्री कं0री0 कन्नौजिया, सहायक निदेशक कारखाना, नोएडा क्षेत्र, एवं श्री कृष्ण गुप्ता, सहायक निदेशक कारखाना, गाजियाबाद क्षेत्र के अधिकारीगण सम्मिलित हैं। उक्त प्रतिष्ठान में दिनांक 04-06-2022 को अपराह्न लगभग 3.00 बजे दुर्घटना घटित हुई थी। निरीक्षण टीम द्वारा की गयी दुर्घटना की स्थलीय जांच, समाचार पत्रों से प्राप्त जानकारी, उक्त प्रतिष्ठान के पास स्थित मैसर्स-एम0डी0टी0 लूब्रीकेंट्स इंडिया, के श्री नितिश ठाकुर पुत्र श्री मुरलीधर ठाकुर एवं मै0-कृष्णा औरगेनिक्स में कार्यरत श्री संजीव चतुर्वेदी पुत्र श्री एन0पी0 चतुर्वेदी द्वारा दिये गये लिखित बयानों, सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती घायल श्रमिक श्री युसुफ पुत्र श्री लतीफ द्वारा टेलीफोन पर दी गयी जानकारी, कार्यालय-सहायक श्रमायुक्त, हापुड़ के पत्र संख्या-836-37 क्षतिपूर्ति, दिनांक 05-06-2022 तथा सम्बन्धित थाने से प्राप्त प्रथम सूचना रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी को दृष्टिगत रखते हुए जांच रिपोर्ट निम्नलिखित है:-

1- यह दुर्घटना प्रतिष्ठान मैसर्स-रूही इण्डस्ट्रीज, एफ-128, फेज-1, एम0जी0रोड, इण्ड0 एरिया, एम0जी0रोड, हापुड़ में घटित हुई है।

2- इस प्रतिष्ठान के अधिष्ठाता श्री दिलशाद है तथा इन्होंने यह प्रतिष्ठान श्री वसीम को किराये पर दे दिया था।

कमश-02

प्रतिष्ठान में लगभग 2 माह से टॉयगन पैलेटस में बारूद भरने का कार्य हो रहा था। प्रतिष्ठान का आकार लगभग लम्बाई 40मी० व चौड़ाई 15मी० है जिसमें 30मी० x 15मी० का कमरा बना हुआ है जहाँ पर टॉयगन पैलेटस में बारूद भरने का कार्य होता था। इस प्रतिष्ठान के अन्दर ऑफिस, गार्डरूम, टॉयलेट, स्टोर रूम आदि बने हुए हैं। साथ ही प्रथम तल पर दो आवासीय कमरे व टॉयलेट आदि बने हुए हैं। प्रथम तल के कमरों में आठ गद्दे बिछे पाये गये, जिससे स्पष्ट है कि श्रमिक निवास भी करते थे।

दिनांक 04-06-2022 को दोपहर लगभग 3.00 बजे इलेक्ट्रिक शार्ट सर्किट/वीडी या सिगरेट से टॉयगन पैलेटस के बारूद में आग लगी, जिससे काफी तेज एवं तीव्रता के साथ विस्फोट हुआ और वहाँ पर कार्यरत श्रमिक उसकी चपेट में आ गये और उनमें से 13 कर्मकारों की मृत्यु हो गयी तथा 20 कर्मकार घायल हो गये।

6-उसी दिन स्थानीय प्रशासन एवं अन्य विभागों द्वारा बचाव एवं राहत कार्य के द्वारा सभी मृत एवं घायल श्रमिकों को प्रतिष्ठान से बाहर निकाल कर उसमें से घायल श्रमिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। संयुक्त टीम के द्वारा गाजियाबाद जिला अस्पताल में घायल कर्मकारों का बयान लेने हेतु दौरा किया गया परन्तु वहाँ स्टाफ से यह जानकारी प्राप्त हुई कि वहाँ से 06 कर्मकारों को सफदरगंज अस्पताल, दिल्ली रेफर किया जा चुका है। तथा एक कर्मकार को आज ईलाज के पश्चात डिस्चार्ज कर दिया गया, अतः यहाँ पर किसी भी कर्मकार का बयान नहीं लिया जा सका परन्तु सफदरगंज हॉस्पिटल में भर्ती घायल श्रमिक श्री युसुफ पुत्र श्री लतीफ पता-कांठ, जिला शाहजहाँपुर से उक्त घटना के सम्बंध में टेलीफोन पर जानकारी प्राप्त की गयी।

7-प्रतिष्ठान के अन्दर जाँच के दौरान पाया गया कि जले हुए टॉयगन पैलेटस एवं बारूद के अवशेष पड़े हुए मिले थे। प्रतिष्ठान के वर्किंग शेड में लगी कारुगेटेड आयरन शीट एवं इंगल आयरन का स्ट्रैक्चर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।


8-निरीक्षण टीम में सम्मिलित श्री कृपांशु गुप्ता, सहायक निदेशक कारखाना, उ०प्र०, गाजियाबाद एवं श्री आलोक कुमार सिंह, प्रभारी-उप निदेशक कारखाना, उ०प्र०, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि टॉयगन पैलेटस में भरे जाने वाले बारूद की फॉरेंसिक टीम द्वारा जाँच हेतु नमूने लिये गये हैं। उक्त के सम्बंध में फॉरेंसिक टीम द्वारा लिये गये बारूद के नमूनों की जाँच फॉरेंसिक लैब द्वारा प्राप्त होने पर ही बारूद में प्रयोग में होने वाले कैमिकल का सही पता चल पायेगा।

9-प्रतिष्ठान के अधिष्ठाता के विरुद्ध थाना धौलाना, हापुड़ में (प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0265) मुकद्मा भी दर्ज हुआ है जिसकी जाँच पुलिस द्वारा की जा रही है।

सामान्यतः कारखाना अधिनियम-1948 की धारा 2एम(i) तथा 2एम(ii) (कारखाना अधिनियम उत्तर प्रदेश संशोधन-2017) के अंतर्गत किसी परिसर में पावर के साथ अभिनिर्माण होने पर 20 कर्मकार तथा बिना पावर के साथ अभिनिर्माण होने पर 40 कर्मकारों के होने पर ही परिसर "कारखाना" की श्रेणी में आवर्त होता है।

कमश-03











दुर्घटना की जाँच हेतु गठित निरीक्षण टीम इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि दुर्घटना के समय कारखाने को द्वारा टॉयगन पैलेटस में मैनुअल तरीके से बारूद भरने का कार्य किया जा रहा था। इस दौरान भरने वाले बारूद में किस कैमिकल का प्रयोग हो रहा था, इसका पता नहीं चल सका। इसके सम्बंध में जानकारी फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पायेगी, दुर्घटना के कारखाने में 33 कर्मकार कार्यरत थे। प्रतिष्ठान के अन्दर 33 कर्मकारों द्वारा टॉयगन पैलेटस में बारूद भरने का कार्य मैनुअल तरीके से किया जा रहा था। जाँच के दौरान प्रतिष्ठान में कार्यरत किसी भी कर्मकार के द्वारा प्रतिष्ठान का लिखित बयान उनकी अनुपलब्धता के कारण नहीं लिया जा सका है। वर्तमान में अद्य तक जाँच के तथ्यों के आधार पर यह प्रतिष्ठान कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आवर्त नहीं हो रहा है, कारखाना अधिनियम में आवर्त होने की स्थिति स्पष्ट होने पर कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निरीक्षण टिप्पणी जारी करके नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

यह भी सूचनाय है कि यदि किसी प्रतिष्ठान में विस्फोटक से सम्बन्धित कोई अभिनिर्माण प्रक्रिया हो रही हो तो विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अन्तर्गत जारी लाईसेंस के बिना प्रतिष्ठान को कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत/ लाईसेंस जारी नहीं किया जा सकता है।


उक्त दुर्घटना में मृतक के आश्रितों एवं घायल श्रमिकों को क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की कार्यवाही सहायक श्रमायुक्त, हापुड़/उप श्रमायुक्त, गाजियाबाद द्वारा की जा रही है।

(8X)  
07.06.2022  
1- रवीन्द्र कुमार,  
सहायक निदेशक कारखाना,  
मुजफ्फरनगर क्षेत्र।

1. Hussain 07/06/22  
2- ए०के०सिंह,  
प्रभारी-उप/सहायक निदेशक कारखाना,  
गाजियाबाद क्षेत्र गाजियाबाद

  
07/06/2022  
3- सुरेन्द्र बहादुर,  
सहायक निदेशक कारखाना,  
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

  
4- के०सी० कन्नौजिया,  
सहायक निदेशक कारखाना,  
नोएडा क्षेत्र।

  
5- कृपांशु गुप्ता,  
सहायक निदेशक कारखाना,  
गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद।

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)  
प्रथम सूचना रिपोर्ट  
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

क्र.सं. - 3

1. District (जिला): हापुड

P.S. (थाना): धौलाना

Year (वर्ष): 2022

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0265

Date & Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 04/06/2022 21:13

2. S.No. Acts (अधिनियम)  
(क्र.सं.)

Sections (धारा(एँ))

1 भा द सं 1860

286

2 भा द सं 1860

287

3 भा द सं 1860

304

4 भा द सं 1860

308

5 भा द सं 1860

337

6 भा द सं 1860

338

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day शनिवार  
(दिन):

Date From 04/06/2022  
(दिनांक से):

Date To 04/06/2022  
(दिनांक तक):

Time Period पहर 5  
(समय अवधि):

Time From 15:00 बजे  
(समय से):

Time To 15:00  
(समय तक): बजे

Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date 04/06/2022 Time (समय): 21:13 बजे  
(दिनांक):

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 064 Date & Time 04/06/2022 21:13 बजे  
(प्रविष्टि सं.): (दिनांक और समय):

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S. पश्चिम, 11 Beat No.  
1. (a) (थाना से दूरी और दिशा): किमी (बीट सं.):  
(b) Address फैक्ट्री रूही इन्डस्ट्रीज, एरिया UPSIDC फेस प्रथम  
(पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. District(State)  
(थाना का नाम): (ज़िला (राज्य)):

Informant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

Name (नाम): जाबिर अली

Father's Name (पिता का नाम): हामिद

Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1997

Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

UID No. (यूआईडी सं.):

Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार) Id Number (पहचान संख्या)

1

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम भडेरी, कॉट, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	ग्राम भडेरी, कॉट, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9084187627

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1. मालिक दिलशाद		पिता का नाम : नामालूम	1. अजात, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
2. संचालक वसीम		पिता का नाम : नामालूम	1. अजात, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु)

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर टाईपशुदा.....सेवा मे श्रीमान थाना प्रभारी थाना धौलाना जिला हापुड महोदय, सादर निवेदन है कि मेरे चाचा का लडका इरफान उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र इब्बन निवासी ग्राम भडैरी थाना कांट जिला शाहजहापुर, फैक्ट्री एरिया यूपीएसआईडीसी प्रथम फेस थाना क्षेत्र धौलाना जिला हापुड मे स्थित रूही इन्डस्ट्रीज फैक्ट्री मे काम करता था। उक्त फैक्ट्री मे मेरे गांव के और लोग भी काम करते थे उक्त फैक्ट्री मे पटाखे बनाने का काम होता था। उक्त फैक्ट्री दिलशाद नाम के व्यक्ति की है। जिसको वसीम नाम का व्यक्ति किराये पर लेकर चला रहा था । आज दिनांक 04.06.2022 को समय करीब 3.00 बजे दोपहर फैक्ट्री मे विस्फोट होने पर आग लग गयी । जिसमे मेरे गांव के सनोज पुत्र सुखराम, अंकुर पुत्र रमेश , राजेश पुत्र रामखिलावन, मुस्तकीम पुत्र स्व0 वादशाह, सोनू पुत्र रामनरेश , अमित गुप्ता पुत्र सुरेश गुप्ता ,बवलू पुत्र सकूर ,चांद पुत्र यामीन , जैनव पुत्री स्व0 बादशाह आदि अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये उक्त घटना के मौके पर जाकर मैने जानकारी की तो पता चला कि 08 आदमियो की मौके पर ही जलने से मौत हो गयी है। काफी अन्य लग जलने से गम्भीर रूप से घायल हो गये है जिन्हे पुलिस प्रशासन ने विभिन्न अस्पतालो मे उपचार हेतु भेज दिया है इस मामले मे फैक्ट्री के मालिक व संचालक की लापरवाही से उक्त घटना घटी है । मेरे चचेरे भाई इरफान का अभी तक पता नही चला है कि वह किस अस्पताल मे भर्ती है निवेदन है कि रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृप्या करे।

N.C.R.B (एन.सी.आर.वी)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

अ0 जाबिर प्रार्थी जाबिर अली पुत्र हामिद नि0 ग्राम भंडेरी थाना कांट जिला शाहजंहापुर  
प0 मो0न0 9084187627 दिनांक 04.06.2022 नोट- मै सीसी 667 गौरव कुमार  
गणित करता हू कि तहरीर की नकल व कायमी मेरे द्वारा शब्द व शब्द कम्प्यूटर पर टाईप  
र मुकदमे का पंजीकरण किया गया है।

Action taken: Since the above information reveals commission of  
offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का  
तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or  
(या)

(2) Directed (Name of I.O.) Sandeep Kumar Rank SI (Sub-Inspector)  
(जांच अधिकारी का नाम): (पद):

No. to take up the Investigation  
( सं.): (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. District  
(थाना): (ज़िला):  
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly  
recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और  
एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Thumb impression of the  
ant / informant.(शिकायतकर्ता /  
के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):  
and time of dispatch to the court  
में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge,  
Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name THANA DHAULANA

Rank I (Inspector)

No. 9454403410

Attachment to item 7 of First Information Report

(सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:  
(If known / seen )

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :  
(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms.) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7

1 पुरुष

2 पुरुष

Deformities/ Peculiarities	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Age (वय)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoder ma (लुकोदेर्मा (सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का )	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)





चतुर्वेदी पुत्र भी NP चतुर्वेदी,  
11 और गोलिक-स में कार्यरत हैं।

मार्च 2022 को लगभग 2-45 दोपहर में  
हमारे पीढ़े की फैक्ट्री में बहुत तेज विर-फोट  
हुआ। विर-फोट काफी तेज था। सभी  
कामों काहर की ओर भागे। कुछ समय  
सभी लोग काहर रहे।

कमर कुछ समय बाद, जब पीढ़े देखने लगे  
तो कला देखा की F-128 में विर-फोट हुआ  
था। पुलिस मौके पर पहुँची हुई थी  
तथा व्यक्तियों को अस्पताल ले जा रही थी।  
सड़क पर काफी कमलवा विर-फोट हुआ  
था।

Shah  
(Saurav Chaturvedi)  
7/6/22

हर पुरुष की वीडियो नोट्स बनाने लगना पुरा  
 नों के तैयारी के लिए इन्स्टीट्यूट F-128  
 पुलावरी OPSIDC खेचरा इन्स्टीट्यूट  
 का सख्त हापुस में हैलपर का काम कम  
 महान से कर रहे थे लगभग 30-35 लोग  
 हरक दोध वान दोध से सराला भरने का काम  
 था। यार पूरा की अचानक ही तयार माल के  
 अचानक तब अचानक से साध जोर की आवाज हुई  
 और आवाज लगे बायीं। घटना के समय लगभग  
 35 लोग काम कर रहे थे दोध वान में बाराद भरने  
 का काम होय से किया जाना था वजन 15000 से  
 10 घण्टे काम करने थे बहार से सराला  
 का आना था जिस प्रकार दोध से भरने  
 का काम दोध वान बनाने का काम होया से सर  
 का आना था वहा पर कई सारी और कि खराब  
 होनी पडी हुई थी। इनका कार्य करने में  
 बाधनी किया जाना था

सचिन कर्कर  
 निरुद्ध राजा  
 साधर का पत्र  
 9/6/22

नमि साधर  
 8/6/22

Verified  
 09/06/22

Verified  
 09/06/22  
 Verified  
 ADP GIBB  
 09/06/22



## वृत्तान्त

श्री <sup>श्री</sup> ~~श्री~~ गतिक उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी  
कमिश्नर कार्यालय जिला हाथुड में रहता है।

दिनांक 04/06/2022 को मैं पहली बार में  
डण्डो शफ - 128 केज - 22 UPSIDC M-4 Road  
हाथुड में डेल्वर का काम करता था दुर्घटना लगभग  
2:30 बजे जोर से धमाका हुआ तथा वहाँ पर आता लगा  
गया उम्र वक्त में लगभग Toy Gun bullets को धारी  
से काट कर बाँध कर पेटी में रख रहे थे, मेरी जानकारी  
के अनुसार उम्र समय में वहाँ पर 30-35 लोग कार्य कर  
रहे थे तथा वहाँ पर सभी लोगों के हाथ  
हाथ से Plastic Toy Gun bullet (पटाखा) वहाँ पर 10  
घंटे काप कराया जाता था। घटना के बाद डायना  
अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया तथा वहाँ से  
हाथुड के M.M.G सरकारी अस्पताल ले जाया गया तथा  
उसी दिन डॉक्टरों द्वारा मुझे सफरजंग अस्पताल दिल्ली  
रेफर कर दिया गया। दिनांक 04/06/2022 से दिनांक  
09/06/2022 तक मेरा इलाज चलता तथा लगभग 03 बजे  
अस्पताल द्वारा मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया, रुकी डण्डो  
के मालिक द्वारा वहाँ पर काप करने वाले को किसी सुरक्षा  
हेतु कोई शर्मान नहीं दिया जाता था। वहाँ पर काप  
करने वाले आदिमयी को, 11,500/- प्रति माह तथा महिला  
कार्मिकों को 9,500/- प्रति माह दिया जाता था। हमें यह  
बड़ी मालूम था कि वहाँ पर बारूद से फलाने बनाने का  
काप होता था

मै अपनी मजि से दे रहा हूँ ।


साथ  
साथ ही / साथ  
के साथ ही  
दिनांक 10/06/22

साथ-पुस्तक

10/06/2022

शुक्र

Verified  
10/6/22



Verified  
10/6/22

Verified  
10/6/22

श्री प्ररूप निवासी पिपलडा करीम कालोनी  
२४ (लगाया वर्ष) में रहती हूँ दिनांक 04/06/2022

अपने पति के साथ पहली बार में ० रुई २०५०

एक मसूरी गुलबर्दी रोड UPS2MC टाकुर में रोज  
की थी। दिनांक 04/06/2022 को लगाया ग्रीपट में

अचानक से जोर का धक्का हुआ और वहां पर  
गिर गयी और वहां पर बाला-बाला धुस का गुवा

गया। घटना के समय में लाइव लॉच गत (पलखा)

धारा से बस कर बांध का पेड़ में रख रहे थे वहां  
अभीलोगो के द्वारा हाथ से पलखा बनाने का काम

जाता था और लगातार कामनी में ३० से ३५ लोग

कर रहे थे घटना के बाद मुझे इलाज के लिए  
जिपलडा के NMG सखारी अस्पताल ले जाया गया।

वहां से उसी दिन इलाज के लिए मुझे सफरगांज  
अस्पताल गई दिल्ली गेज दिया गया दिनांक 09/06/2022 को

रफला। द्वारा मुझे डिचार्ज कर दिया गया तथा इक्तर  
स ०५ दिनों की स्या की गई है मैंने बापे हाथ के

जुमे से अभी पट्टे बंदी हुई है तथा पूरे शरीर में दर्द  
पना हुआ है तथा कई जगह पर पलखे से दुस बिफुरी


का कारण अज्ञेय भी है मुझे पट्टे नहीं हान्दम का की  
पट्टों पर पलखे (बाकड़ से) बनाने का काम होता है। अभी  
मुझे दौनी कालोनी से काप. मुनार देता है। मैंने ०५ दिनों से स्या

अपने वेश से परीक्षा है

verified  
Rajpurokh  
10/6/22

नाम - अफसलता  
10/06/2022

श्री प्ररूप निवासी पिपलडा करीम कालोनी  
२४ (लगाया वर्ष) में रहती हूँ दिनांक 04/06/2022



मिड/ वायवाह उम 35 निवासी पिलोडा

दिन हायड से 8 महीने से रहता है

4-6-22 को पोपट लगना 2-30 वजे

तेज घमाका उमा और वहाँ वल डायल लगाने  
वकत में सल रुकी इडफडी F 128 प्रसूरी गुलाबी

हायड से व्यापक रहना अचान ही 2-30 वजे

गल लगे से मरे सिल होत, यहीना हाथ वचा हाथ

म गमभीर पोपट लगी घटना के लिए मुझे इलाज

के लिए मुझे अस्पताल जाया वहा ले जाया गया

हाथ से उमरे दिन म-म अस्पताल में जाया वहा

कर कर दिया गया दिनांक 4-6-22 मुझे अस्पताल

में डिस्चार्ज कर दिया गया कर पना में वारुद में

हाथ वना के बाद हाथ से लिया मुझे यह गहा

पता था कि वहाँ पर वारुद से पता के वनाये जसे ही

कम्पना में 35 लोग काम करते थे

घान लिखा गया 35-35 लोग काम करते थे

यह सब फोटो की सुरक्षा

जुग दिया गया

जवाहर

10-6-22  
Verified  
Mansingh 10/6/22



मुस्त नाम

10-6-22



Verified  
Wairant 10/6/22

दिनांक 04/06/2022 को लक्ष्मण 1:30 बजे अस्पताल के  
 रुम फिर वहां पर आया लगा गयी। घटना के समय में  
 राज (पलाषा) को वहां से काप का बॉय का पीछे में रख  
 का व लक्ष्मण 30-35 लोग काप कर रहे थे तथा भरे जानने  
 लोग साथ से काप कर रहे थे। घटना के बाद मुझे अस्पताल  
 न्यू लॉक अस्पताल हाउस ले जाया गया तथा वहां से अस्पताल के लिए  
 कारी अस्पताल ले जाया गया दिनांक 08/06/2022 को अस्पताल  
 डिचार्ज का किया गया मेरे लीने रैर में के लगे अफा से जमे  
 का माफिया का से अखब होगा है मुझे पद नही बताया गया  
 + वहां पर बाकद से पलाषे बनने का काम विच जाता है  
 नज्बाद रूपसे 9,500/- प्रति माह तथा हुई की। मालिक के साथ  
 से काप करने के लिए इस्ताने, जेमे भादि नही दिख गी वे।

पुलिस स्टेशन  
 10/06/2022

नाम:- जयनम जैन  
 दिनांक:- 10/06/2022



Venju  
 10/6/22


Verified  
 10/6/22

Identified  
 10-6-22

की सम्पत्त सिवाय पिपलेडा रजा गड्डा, टायुड उप  
 नगर करी है। मैं मेरे रूढ़ि एण्ड F-118 N.C. Road  
 ए कप करे (रेण्ड का काम) गयी थी अचानक ही  
 को आभा 2:30 बजे बहुत जोर का धावा हुआ था  
 धरना के समय में आरिठक गन (घटाया) को धारो  
 धा कर पेटी में रख रही थी धारो धारो वाले धारी लोड,  
 से घटाया बनाने का काम करते थे।

धरना के बाद मुझे एण्ड व लिय ममद  
 अस्पताल ले जाया गया जहाँ से एण्ड के लिए 44/22/22  
 ल डिल्ली रेफा का लिया गया। तिथि 09/06/2022 को मुझे  
 गी अस्पताल डिल्ली से डुबल्ट का रिफा गया वहा पर  
 गी धाम केवल धार से ही काप लिया जाता था किरी  
 के प्रशिन में वा प्रयोग नहीं लिया जाता था वहा पर मच्छ  
 से की आलिक पावडर लगाया गया था धरना के बाद रेकेटा ने  
 को ताले से बन्द का रिफाया कानि के मलिक धाम धार का घटना  
 (परी के लिए) धारि कोई समान नहीं लिया गया वहा वहा पर कुछ  
 से बने हुए थे जिसे वहा पर काप करे वाले लोग रहे भी थे।  
 ध पद बपान अपनी प्रती से है रही है। अभी मेरी कमर व  
 पिठ तथा दोनों धार असा से जने हुए है।


नाम - शशिदा  
 तिथि:- 10/06/2022



~~Venjus~~  
~~Akshay~~  
 10/6/22

~~Venjus~~  
~~10/6/22~~

Verified  
 Raiporekh  
 10/6/22



शशिदा शशिदा की मुद्रा  
 10/06/2022

श्री + उद्योग पावर → 9012099497

ward → 22

1-) SSI Dhaulana Baram Singh → 8527624735 ..

3/2/18-3

# THE FACTORIES (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2017<sup>1</sup>

[U.P. Act 13 of 2018]

As passed by the Uttar Pradesh Legislature.

*An Act further to amend the Factories Act, 1948 in its application to the State of Uttar Pradesh*

It is hereby enacted in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

### Statement of Objects and Reasons

The Factories Act, 1948 has been enacted by the Central Government with the object of providing the safety, health, welfare, working hours, overtime, leaves and other aspects of workers employed in factories.

Due to globalisation, liberalisation and consequent competitive business atmosphere there has been growing demand for relaxing the provisions relating to overtime, employment of women during night and exempting small industrial units from applicability of the Act. So, after due consultation with association of employers and trade unions, it has been decided to amend the Factories Act, 1948 in its application to Uttar Pradesh to enhance hours of overtime and to permit the employment of women workers during night under certain conditions.

The Factories (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2017 is introduced accordingly.

**1. Short title and extent.**—(1) This Act may be called the Factories (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2017.

(2) It shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.

**2. Amendment of Section 2 of Act 63 of 1948.**—In Section 2 of the Factories Act, 1948 as amended in its application to Uttar Pradesh, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (m),—

(i) in sub-clause (i), for the words "ten or more", the words "twenty or more" shall be substituted;

(ii) in sub-clause (ii), for the words "twenty or more", the words "forty or more" shall be substituted.

**3. Amendment of Section 64.**—In Section 64 of the principal Act, in sub-section (4), in Clause (iv) for the word "fifty", the words "one hundred" shall be substituted.

**4. Amendment of Section 65.**—In Section 65 of the principal Act, in sub-section (3), in Clause (iv) for the words "seventy-five" the words "one hundred fifteen" shall be substituted.

**5. Amendment of Section 66.**—In Section 66 of the principal Act, in sub-section (1), in Clause (b) for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

1. Received the assent of the President on 10.01.2018 and published in the U.P. Gazette, Extraordinary, Part I, Section (Ka), dated 29.01.2018.

“Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette, in respect of any factory or group or class or description of factories vary the limits laid down in this clause and such variation may authorise the employment of any woman between the hours of 7 p.m. and 6 a.m. so long as therein the provisions for the safety and facilities of the woman to be given to her.”

युक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम-1923 एवं सहायक श्रमायुक्त, हापुड़।

6-838 (33)

क्षतिपूर्ति/हा/

दिनांक: 5-6-2022

नोटिस

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत

योजक/आकूपायर,

श्री दिलशाद पुत्र अब्दुल खालिद,

निवासी - सी-4, गली नम्बर-4,

यू बृजपुरी, नई दिल्ली-110051

मैसर्स रूही इण्डस्ट्रीज,

एफ-128, फेज-1, यू0पी0एस0आई0डी0सी0,

एम0जी0 रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया,

धौलाना, हापुड़।

2. श्री वसीम अली पुत्र श्री सलीम,

निवासी - 102, मौ0 कानूनगोयान,

तहसील व जिला हापुड़।

आपके प्रतिष्ठान मै0 रूही इण्डस्ट्रीज, एफ-128, फेज-1, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, एम0जी0 रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, धौलाना, हापुड़ में दिनांक 04.06.2022 को हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के अनुसार 13 श्रमिकों की मृत्यु एवं 20 श्रमिक गम्भीर रूप से घायल हो गये हैं। जाँच आख्यानुसार आप द्वारा मृतक श्रमिकों एवं घायल श्रमिकों के आश्रितों को कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम-1923 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है।

अतः कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम-1923 की धारा-10(ए) एवं धारा 19(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर मृतक एवं घायल श्रमिकों के आश्रितों को अधिनियम के अनुसार देय जो उनके नाम के सम्मुख अंकित क्षतिपूर्ति की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट "सहायक श्रमायुक्त, उ0प्र0/आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम-1923" के नाम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि मृतक श्रमिकों के आश्रितों एवं घायल श्रमिकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया जा सके, अन्यथा की दशा में नियमानुसार विधिक कार्यवाही सम्पन्न की जाएगी, जिसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

मृतक श्रमिकों के आश्रितों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की धनराशि का विवरण निम्नवत् है -

क्रमांक	मृतक श्रमिक का नाम	पिता का नाम व पता	आयु	दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की धनराशि
1	श्री इरफान	श्री इब्बन,	22 वर्ष	10,54,828/-



	ग्राम भंडेरी, पोस्ट हथेल, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र०		
श्री भूरे	स्व० गुरवर्खा ग्राम भंडेरी, पोस्ट हथेल, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र०	48 वर्ष	7,61,447 / -
श्री रामू	श्री दर्शन, ग्राम भंडेरी, पोस्ट हथेल, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र०	27 वर्ष	10,17,661 / -
श्री सर्वेश	श्री पप्पू, ग्राम भंडेरी, पोस्ट हथेल, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र०	20 वर्ष	10,67,360 / -
श्री अनूप	श्री राजेश, ग्राम भंडेरी, पोस्ट हथेल, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र०	19 वर्ष	10,73,173 / -
श्री छोटे उर्फ अनिल कुमार	श्री रामचन्द्र, ग्राम भंडेरी, पोस्ट हथेल, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र०	40 वर्ष	8,77,570 / -
श्री प्रेमपाल	श्री रामशरण, ग्राम भंडेरी, पोस्ट हथेल, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र०	35 वर्ष	9,38,991 / -
श्री छविराम	श्री कल्लू, ग्राम भंडेरी, पोस्ट हथेल, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र०.	20 वर्ष	10,67,360 / -
श्री दिलशाद	श्री आफाक, ग्राम भौमेका, थाना कच्चा थामन, जिला किशनगंज, बिहार	18 वर्ष	10,78,701 / -
श्री कुर्बान	श्री रमजान, ग्राम कनपईया, थाना हरदी, जिला बहराइच, उ०प्र०	19 वर्ष	10,73,173 / -
श्री नूर हसन	श्री इसपाक, मौ० बाजारवाली बाग, थाना कटरा,	22 वर्ष	10,58,828 / -

	जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र०		
-	-	योग	1,10,69,092 / -

उल्लिखित करना है कि 02 अज्ञात मृतक श्रमिक आपके कारखाने में दुर्घटना के समय नियोजित थे। चूंकि उक्त श्रमिकों को आपके द्वारा नियोजित किया गया था फलतः जिसकी सम्पूर्ण जानकारी आपको ज्ञात होगी, अतः उक्त अज्ञात श्रमिकों के नाम, पता, आयु एवं उनके आश्रितों/परिजनों का विवरण कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम-1923 के अन्तर्गत देय क्षतिपूर्ति की धनराशि अवधारित करते हुए आपको अवगत कराया जा सके, ताकि आप द्वारा उनकी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

घायल श्रमिकों के आश्रितों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की धनराशि का विवरण निम्नवत् है -

क्रमांक	घायल श्रमिक का नाम	पिता/पति का नाम व पता	आयु	दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की धनराशि
1	श्री एजाज	श्री आफाक, ग्राम भौमेका, थाना कच्चा थामन, जिला किशनगंज, बिहार	27 वर्ष	8,54,835 / -
2	श्री शिवम	श्री कृष्णपाल, ग्राम चरढिया, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र०	28 वर्ष	12,11,015 / -
3	श्री सरोज	श्री सुखराम, ग्राम भडेरी, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र०	26 वर्ष	12,30,971 / -
4	श्री राजेश	श्री रामखिलौना, ग्राम भडेरी, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र०	21 वर्ष	63,673 / -
5	श्री रिहान	श्री आश मोहम्मद, ग्राम उवारपुर, थाना हाफिजपुर, जिला हापुड़	18 वर्ष	64,722 / -
6	श्री मनोज	श्री सुखराम, ग्राम भडेरी, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र०	18 वर्ष	64,722 / -
7	श्री चाँद	श्री आमिर, ग्राम भडेरी, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र०	22 वर्ष	3,16,448 / -

8

सुश्री जैनव	श्री बादशाह, ग्राम भडेरी, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र०	22 वर्ष	63,290/-
श्री बब्लू	श्री शकूर, ग्राम भडेरी, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र०	28 वर्ष	1,81,652/-
10 श्री मुस्तकीम	श्री बादशाह, ग्राम भडेरी, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र०	35 वर्ष	2,25,358/-
11 श्री अमित गुप्ता	श्री सुरेश गुप्ता, ग्राम भडेरी, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र०	26 वर्ष	2,46,195/-
12 श्री अंकुर	श्री रमेश गुप्ता, ग्राम भडेरी, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र०	18 वर्ष	4,53,055/-
13 श्री सागर	श्री टीटू, निवासी सुपर टैंक, दिल्ली रोड, मेरठ	23 वर्ष	3,77,302/-
14 श्री प्रदीप	श्री सतपाल, ग्राम भडेरी, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र०	18 वर्ष	3,23,610/-
15 श्री यूसुफ	श्री लतीफ, ग्राम भडेरी, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र०	28 वर्ष	2,42,203/-
16 सुश्री शाहिदा	श्री सराफत, ग्राम भडेरी, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र०	18 वर्ष	1,94,166/-
17 श्रीमती अफसाना	श्री यूसुफ, ग्राम भडेरी, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र०	28 वर्ष	1,81,652/-
18 श्री तालिव	श्री हाकम, ग्राम उवारपुर, थाना हाफिजपुर, जिला हापुड़	19 वर्ष	6,43,904/-
19 श्री सोनू	श्री रामनरेश, ग्राम भडेरी, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र०	23 वर्ष	7,54,605/-
20 सुश्री आथिया	श्री सराफत, ग्राम भडेरी, थाना कांठ जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र०	20 वर्ष	2,56,166/-
-	-	कुल	79,49,544/-

8  
05/06/2022  
(सर्वेश कुमार)

आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम-1923,  
सहायक श्रमायुक्त, हापुड़।

पत्रांक : 836-838 (33) /स०अ०हा०  
प्रतिलिपि :-

दिनांक : 5-6-2022

1. श्रमायुक्त, उ०प्र०, जी०टी० रोड, कानपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, हापुड़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3. उप श्रमायुक्त, गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्री इब्बन, ग्राम भंडेरी, पोस्ट हथेल, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र० को सूचनार्थ।
5. श्री राकेश पुत्र स्व० गुरवर्खा, ग्राम भंडेरी, पोस्ट हथेल, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र० को सूचनार्थ।
6. श्री दर्शन, ग्राम भंडेरी, पोस्ट हथेल, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र० को सूचनार्थ।
7. श्री पप्पू, ग्राम भंडेरी, पोस्ट हथेल, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र० को सूचनार्थ।
8. श्री राजेश, ग्राम भंडेरी, पोस्ट हथेल, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र० को सूचनार्थ।
9. श्री रामचन्द्र, ग्राम भंडेरी, पोस्ट हथेल, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र० को सूचनार्थ।
10. श्री रामशरण, ग्राम भंडेरी, पोस्ट हथेल, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र० को सूचनार्थ।
11. श्री कल्लू, ग्राम भंडेरी, पोस्ट हथेल, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र० को सूचनार्थ।
12. श्री आफाक, ग्राम भौमेका, थाना कच्चा थामन, जिला किशनगंज, बिहार को सूचनार्थ।
13. श्री रमजान, ग्राम कनपईया, थाना हरदी, जिला बहराइच, उ०प्र० को सूचनार्थ।
14. श्री इसपाक, मौ० बाजारवाली बाग, थाना कटरा, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र० को सूचनार्थ।
15. श्री आफाक, ग्राम भौमेका, थाना कच्चा थामन, जिला किशनगंज, बिहार को सूचनार्थ।
16. श्री कृष्णपाल, ग्राम चरढिया, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र० को सूचनार्थ।
17. श्री सुखराम, ग्राम भंडेरी, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र० को सूचनार्थ।
18. श्री रामखिलौना, ग्राम भंडेरी, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र० को सूचनार्थ।
19. श्री आश मौहम्मद, ग्राम उवारपुर, थाना हाफिजपुर, जिला हापुड़ को सूचनार्थ।
20. श्री सुखराम, ग्राम भंडेरी, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र० को सूचनार्थ।
21. श्री आमिर, ग्राम भंडेरी, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र० को सूचनार्थ।
22. श्री बांदशाह, ग्राम भंडेरी, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र० को सूचनार्थ।
23. श्री शकूर, ग्राम भंडेरी, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र० को सूचनार्थ।
24. श्री बांदशाह, ग्राम भंडेरी, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र० को सूचनार्थ।
25. श्री सुरेश गुप्ता, ग्राम भंडेरी, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र० को सूचनार्थ।
26. श्री रमेश गुप्ता, ग्राम भंडेरी, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र० को सूचनार्थ।
27. श्री टीटू, निवासी सुपर टैंक, दिल्ली रोड, मेरठ को सूचनार्थ।
28. श्री सतपाल, ग्राम भंडेरी, थानाकांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र० को सूचनार्थ।
29. श्री लतीफ, ग्राम भंडेरी, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र० को सूचनार्थ।
30. श्री सराफत, ग्राम भंडेरी, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र० को सूचनार्थ।
31. श्री यूसुफ, ग्राम भंडेरी, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र० को सूचनार्थ।
32. श्री हाकम, ग्राम उवारपुर, थाना हाफिजपुर, जिला हापुड़ को सूचनार्थ।
33. श्री रामनरेश, ग्राम भंडेरी, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र० को सूचनार्थ।
34. श्री सराफत, ग्राम भंडेरी, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र० को सूचनार्थ।

*Te*

*8*  
*05/06/2022*

आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम-1923.

सहायक श्रमायुक्त, हापुड़।

कार्यालय आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम-1923 एवं सहायक श्रमायुक्त, हापुड़।

क्रमांक: 929-35

क्षतिपूर्ति 0हा/

दिनांक: 7-6-2022

नोटिस

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के अंतर्गत

सेवायोजक / आकूपायर,

1. श्री दिलशाद पुत्र अब्दुल खालिद,

निवासी - सी-4, गली नम्बर-4,

न्यू बृजपुरी, नई दिल्ली-110051

मैसर्स रूही इण्डस्ट्रीज,

एफ-128, फेज-1, यू0पी0एस0आई0डी0सी0,

एम0जी0 रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया,

धौलाना, हापुड़।

2. श्री वसीम अली पुत्र श्री सलीम,

निवासी - 102, मौ0 कानूनगोयान,

तहसील व जिला हापुड़।

आपके प्रतिष्ठान मै0 रूही इण्डस्ट्रीज, एफ-128, फेज-1, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, एम0जी0 रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, धौलाना, हापुड़ में दिनांक 04.06.2022 को हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के अनुसार 13 श्रमिकों की मृत्यु एवं 20 श्रमिक गम्भीर रूप से घायल हो गये हैं। मृतक 13 श्रमिकों में से 02 मृतक श्रमिकों की शिनाख्त नहीं हो पाने के कारण कार्यालय के पत्र संख्या 836- /स0श्र0हा0 दिनांक 05.06.2022 द्वारा मृतक श्रमिकों एवं घायल श्रमिकों के आश्रितों को कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम-1923 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की धनराशि के भुगतान हेतु नोटिस जारी किया गया था। 02 मृतक श्रमिकों स्व0 रंजीत उर्फ प्रेम नारायण पुत्र श्री रामपाल एवं स्व0 राघवेन्द्र पुत्र श्री राम नरेश की शिनाख्त दिनांक 07.06.2022 को हो गई है।

अतः कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम-1923 की धारा-10(ए) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर उक्त 02 मृतक श्रमिकों के आश्रितों को अधिनियम के अनुसार देय, जो उनके नाम के सम्मुख अंकित है, क्षतिपूर्ति की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट "सहायक श्रमायुक्त, उ0प्र0/आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम-1923" के नाम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा कराया

जाना सुनिश्चित करें, ताकि मृतक श्रमिकों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया जा सके, अन्यथा की दशा में नियमानुसार विधिक कार्यवाही सम्पन्न की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



मृतक श्रमिकों के आश्रितों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की धनराशि का विवरण है :-

मृतक श्रमिक का नाम	पिता का नाम व पता	आयु	दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की धनराशि
स्व० रंजीत उर्फ प्रेम नारयण	श्री रामपाल, सिकन्दरपुर अफगानान, थाना जलालाबाद, जिला शहाजहाँपुर, उ०प्र०	25	10,33,576 / -
स्व० राघवेन्द्र	श्री राम नरेश, ग्राम भंडेरी, पोस्ट हथेल, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र०	19	10,73,173 / -

  
07/06/2022

(सर्वेश कुमारी)

आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम-1923,  
सहायक श्रमायुक्त, हापुड़।



क्रमांक : 929-35

/स०श्र०हा०

दिनांक : 7-6-2022

तिलिपि :-

1. श्रमायुक्त, उ०प्र०, जी०टी० रोड, कानपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, हापुड़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. उप श्रमायुक्त, गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्री रामपाल, सिकन्दरपुर अफगानान, थाना जलालाबाद, जिला शहाजहाँपुर, उ०प्र० को सूचनार्थ।
5. श्री राम नरेश, ग्राम भंडेरी, पोस्ट हथेल, थाना कांठ, जिला शाहजहाँपुर, उ०प्र० को सूचनार्थ।

  
07/06/2022

आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम-1923,  
सहायक श्रमायुक्त, हापुड़।



कायालय  
सहायक निदेशक कारखाना, उ०प्र०,  
कमरा नं०-406बी, तृतीय तल, कलैक्ट्रेट,  
राजनगर, गाजियाबाद।

2022-7

E-Mail - adfghaziabad406@rediffmail.com

प०सं० एडीएफ / संघा०दुर्घ० / गाजि०  
सेवा में,

दिनांक: 2022

निदेशक कारखाना, उ०प्र०,  
कानपुर,।

महोदय,

कृपया उप निदेशक कारखाना गाजियाबाद सम्भाग के पत्रांक 168 डीडीएफ/जॉच रिपोर्ट, दिनांक 07-06-2022 (प्रति संलग्न)को सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कि मै० रूही इण्डस्ट्रीज, एफ-128, फेज-1, एम०जी० रोड़, इण्ड० एरिया, हापुड़ में घटित अग्निकाण्ड/संघातक दुर्घटना की संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा जॉच करने के सम्बंध में है।

उक्त क्रम में सादर अवगत कराना है कि श्री ए०के० सिंह प्रभारी उप निदेशक कारखाना, गाजियाबाद, श्री कमलेश चन्द्र कन्नौजिया, सहायक निदेशक कारखाना, गौतमबुद्ध नगर, तथा अधोहस्ताक्षरी की संयुक्त टीम, उपरोक्त अग्निकाण्ड में घायल हुये व्यक्तियों का बयान लेने हेतु सफदरजंग अस्पताल दिल्ली गये तथा वहाँ पर घायल कर्मकार श्री सागर पुत्र श्री टीटू (जो कि बयान देने की स्थिति में थे) का बयान (बयान की प्रति संलग्न) लिया गया है। अस्पताल प्रबन्धन द्वारा बताया गया कि कुछ घायल कर्मकारों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अस्पताल से डिस्चार्ज किये गये कर्मकारों को बयान लेने हेतु संयुक्त टीम जनपद हापुड़ के पिपलेड़ा स्थित करीम कॉलोनी तथा राजा गार्डन गयी। टीम द्वारा उक्त अग्निकाण्ड में घायल निम्नलिखित कर्मकारों का बयान लिया गया:-

- 1-श्री यूसूफ पुत्र श्री नतीफ।(बयान की प्रति संलग्न)
- 2-श्रीमती अफसाना पत्नी श्री यूसूफ।(बयान की प्रति संलग्न)
- 3-श्री मुस्तकीम पुत्र श्री बादशाह।(बयान की प्रति संलग्न)
- 4-सुश्री साहिदा पुत्री श्री सराफत।(बयान की प्रति संलग्न)
- 5-सुश्री जैनव पुत्री श्री बादशाह।(बयान की प्रति संलग्न)

उपरोक्त कर्मकारों के बयानों के अनुसार प्रतिष्ठान में 30-35 लोगों द्वारा प्लास्टिक टॉय गन पैलेटस (पटाखा) बनाने का काम हाथ से किया जाता था। उल्लेखनीय है कि भारतीय ट्रेड यूनियन्स केन्द्र (सीटू ) के, उप निदेशक कारखाना, गाजियाबाद को सम्बोधित पत्र (प्रति संलग्न) मे भी बताया गया है कि उपरोक्त प्रतिष्ठान में 25-35 श्रमिकों द्वारा पटाखा बनाने का काम हाथ के द्वारा किया जाता था।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त प्रतिष्ठान में घटित अग्निकाण्ड/संघातक दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जॉच, अपर जिलाधिकारी, (वि० एवं रा०) हापुड़ द्वारा की जा रही है जो कि अभी जारी है।

सूचनीय है कि दिनांक 07-06-2022 को संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा की गयी जाँच तथा कमशः दिनांक 09-06-2022, 10-06-2022 को लिए गए घायल कर्मकारों के बयानों एवं ज्ञात तथ्यों/जानकारी के आधार पर, यह प्रतिष्ठान कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत आवर्त नहीं होता है। पूर्व में संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा प्रेषित जाँच रिपोर्ट तथा संयुक्त निरीक्षण टीम के अध्यक्ष के निर्देशानुसार घटना स्थल पर प्रयुक्त किये जा रहे बारूद आदि की फौरेनसिक लैब रिपोर्ट प्राप्त होने पर, संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा आपको/उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जायेगा तथा आपके/उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अनुरूप अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, फिर भी उक्त के सम्बन्ध में यदि कोई निर्देश हो तो कृपया आदेशित करने का कष्ट करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार ।

( कृपांशु गुप्ता )

सहायक निदेशक कारखाना, उ०प्र०,  
गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद।

पृ०प०सं० 1267 (1) एडीएफ/उक्त/गाजि०

दिनांक: 11/06/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓1-जिलाधिकारी, हापुड़।

2- श्रम आयुक्त उ०प्र०, कानपुर ।

3-उप श्रमायुक्त , उ०प्र०, गाजियाबाद ।

4-उप निदेशक कारखाना, गाजियाबाद ।

(Kaipanshu)

( कृपांशु गुप्ता )

सहायक निदेशक कारखाना, उ०प्र०,  
गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद।